रजिस्टर्ड / सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-875 / 2018 / 1075 / 22-2-2018-17(482) / 2009

लखनऊ:दिनांक: 22 नवम्बर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राम प्रताप (बन्दी संख्या-226 / 07) पुत्र श्री बाल गोविन्द, निवासी-ग्राम-सांवत, थाना-खागा, जनपद-फतेहपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-263 / 1984 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302, 302 / 34 के अधीन दिनांक 20.09.1985 को मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की समयपूर्व रिहाई हेतु पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है, दयायाचिका समिति की संस्तुति के आधार पर, बन्दी की आयु 69 वर्ष होने, 33 वर्ष से अधिक अपरिहार तथा 43 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत बन्दी की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-875 / 2018 / 1075(1) / 22-2-2018 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी इलाहाबाद।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in